THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Organisation of National Poultry Marketing Federation

3225. SHRI P. V. PERIASAMY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the present position in respect of organisation of National Poultry Marketing Federation involving outlay of Rs. 90 lakhs;

(b) if not organised so far, the reasons for delay; and

(c) salient features of the proposal for speeding up the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) The proposal of setting up of a National Poultry Marketing Federation has been dropped for the present.

(b) and (c). Do not arise.

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

3226. **श्री राज केशर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषकों द्वारा उगायी जाने वाली तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क के निर्धारण के संबंध में कौन सी प्रक्रियां अपनायी जाती है;

(ख) क्या कृषकों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क के निर्धारण के संबंध में 'फील्ड' इन्सपेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अनिर्मित तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क निर्धारण का मूल सिद्धान्त यह है कि शुल्क (उपभोज्य डंडी और डंठल सहित) शोधित पत्ते पर लगाया जाता है परन्तु उसकी वसूली तम्बाकू के प्रयोग में लाये जाने के समय तक मुल्तवी रखी जाती है । कटाई के बाद, तम्बाकू का शोधन काश्तकार द्वारा किया जा सकता है अथवा हरी अवस्था में ही उसे किसी शोधक के पास भेजा जा सकता है । यदि काश्तकार-शोधक शुल्क की अदायगी करके शोधित तम्बाकू की निकासी करना चाहता है तो वह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो अपनी उपस्थिति में तम्बाकू को तुलवा कर डी०डी० 1 फार्म में उसे एक नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे तम्बाकू पर निर्धारित शुल्क की रकम अंकित होगी । शुल्क अदायगी के बाद शोधक के अहाते से खरीददार के स्थान तक तम्बाकू ले जाने हेतु वह अधिकारी फार्म टी० पी० 1 में परिवहन परमिट जारी करेगा ।

काश्तकार-शोधक को उचित अवधि तक, जिसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता स्थानीय रीति-रिवाज और स्थितियों को ध्यान में रख कर तय करता है, गैर-शुल्क प्रदत्त शोधित तम्बाकू रखने की अनुमति दी जाती है, जिससे वह अपना उत्पाद बेचने अथवा रखने का निर्णय कर सके । इसके पश्चात् वह इसे बिना शुल्क अदायगी के अपने निजी भंडारगृह में रख सकता है अथवा बिना शुल्क अदायगी के बंधकित माल गोदाम में अन्तरित कर सकता है । शोधक के निजी भंडार गृह से काश्तकार-शोधक, शुल्क अदा करके इस्तेमाल हेतु तम्बाकू हटा सकता है अथवा बिना शुल्क अदायगी के बंधकित माल गोदाम को भेज सकता है ।

प्रत्येक काश्तकार का काश्तगत रकबा, उस क्षेत्र की औसत उपज, फसल की स्थिति